

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

नांक

फर्द अहकाम

मु.ज. 73/14 तारीख 11.12.14

उपवाज - रामचरण बनाम वरना के  
बीजलवाड़ा

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

प्रार्थी की ओर से श्री सुरेशचन्द शर्मा  
अ. जे प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा  
पेश किया। दस्तावेजों का अवलोकन  
किया गया। प्रार्थी वकील की स्तरफा  
वहस सुनी गई। प्रथम दृष्टया मामला  
प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः  
अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा सेपाबन्द  
किया जाता है कि ग्राम बीजलवाड़ा  
की भूमि रकबा  $\frac{354}{0.20}$   $\frac{355}{0.18}$   $\frac{359}{0.43}$   $\frac{488}{0.14}$   
 $\frac{489}{0.09}$   $\frac{493}{0.10}$   $\frac{494}{0.11}$   $\frac{495}{0.14}$   $\frac{496}{0.11}$   $\frac{497}{0.26}$  कुल  
किता 10 कुल रकबा 1.76 है। हिस्से की  
भूमि की ओर से एवं रिकार्ड की दृष्टि से  
नो नोय रश्क। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर कर  
अप्रार्थीगण को नोटिस से तलब कर दिनांक  
29.12.14 को पेश हो।

उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

28/12/14 पत्रावली पेश हुई। जहाँ की ओर से कार्यसंगत ररना गया है।  
अप्रार्थीगण का नजरूद पता उप नहीं है। कार्यसंगत होने के  
आर्चना दि. 10.2.15 को पेश हो। प्रमादी न. 1 व 3 उपस्थित  
उर हैं। आर्चना दि. 10.2.15 को पेश हो।

3546.50  
12/14

# न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभी

| दिनांक  | फर्द अहकाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23.2.16 | <p>प्राची वकील उपस्थित / कृष्ण सुनीगरी /<br/> प्राची वकील ने कथन दिया कि सायल<br/> सिंह गैरसाधन नं. 1, 2, 3 बराबर बाराबंछिसि<br/> के खोतदा काश्तकार है बंकरा का<br/> दावा पेश किया है अभ्यक्ष को ता दावा<br/> फैसला पाबंद प्रमाण दिया गये / कोर्ट<br/> आपति नहीं है दिनांक 11.2.14 को<br/> जारी अंतिम अस्पार्च निर्धारण को<br/> ता दावा फैसला कर्फी कोले डए अभ्य<br/> पक्ष को पाबंद किया जाला है कि<br/> विधि एवं मोवे की प्रवृत्ति को<br/> रेख / पत्रावली फैसल शुभा होकर<br/> गम्वाले काम होकर दावा पत्रावली के साथ<br/> सिलेजन रहे</p> <p>उप जिला कलेक्टर<br/> टोडाभीम (करौली)</p> |